न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम, किशनगंज।

उपस्थितः– सुरेश कुमार सिंह – II

निर्णय की तिथिः– 15.07.2026

सत्र वाद संख्या– 48 / 2024

C.I.S No.- 48/2024

प्रथम ईतला रिर्पोट संख्या– 30 / 2023 महिला थाना, जिला– किशनगंज।

सूचिका – **Xyz (Victim),** पिता– **Abc,** साकिन– काठमोहन, साकिन– दलालीपुर वार्ड नं0– 02, थाना व जिला– किशनगंज ....अभियोजन।

द्वारा प्रस्तुति– श्री सोरेन प्रसाद साहा (विद्वान अपर लोक अभियोजक)

अभियुक्तः–	1. मो0 बारिक उर्फ बारिक आलम।
द्वारा प्रस्तुति–	विद्वान अधिवक्ताः– श्री दीपक कुमार सहनी।

अपराध की तारीखः–	24.06.2023
प्रथम ईतला रिर्पोट की तिथिः–	25.06.2023
आरोप पत्र समर्पित की तिथिः–	19.01.2024
आरोप गठन की तिथिः–	21.02.2024
धारा–313 द0प्र0स0 बयान की तिथिः–	02.06.2025
निर्णय सुरक्षित रखने की तिथिः–	10.07.2026
निर्णय की तिथिः–	15.07.2026
दण्डादेश की तिथिः–	25.07.2026

Accused Details:-

Rank of the Accused	A-1
अभियुक्त का नाम एवं पताः–	1. मो0 बारिक उर्फ बारिक, उम्र– 28 वर्ष, पिता– स्व0 मो0 जियारूल हक उर्फ मो0 जियारूल, साकिन– पानीसाल वार्ड नं0– 12, थाना व जिला– किशनगंज।
आत्मसमर्पण / गिरफ्तारी की तिथिः–	23.11.2023
जमानत पर मुक्त करने की तिथिः–	N/A
चार्जः–	U/S- 376 of IPC
दोषमुक्त या दोषसिद्धः–	दोषसिद्ध अन्तर्गत धारा 376 भा.द.वि.
अधिरोपित दण्डादेशः–	धारा 376 भा0द0वि0 के अपराध हेतु 12 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 50,000 / – रूपया अर्थदण्ड।
Period of Detention Undergone during Trial for puroose of section 428 Cr.P.C	02 साल 08 महीना 02 दिन

विचारण के दौरान की अवधि	

Attached:-

APPENDIX OF EVIDENCE INDEX. (साक्ष्य का अनुलग्नक)

अभियोजन साक्षी / प्रतिरक्षा साक्षी / न्यायालय साक्षी की सूचीः–

(क) अभियोजन साक्षीः–

Rank	**Name**	**साक्ष्य की प्रकृतिः–** चक्षु साक्षी / पुलिस साक्षी / विशेषज्ञ साक्षी / चिकित्सक साक्षी / अन्य साक्षी।
P.W- 1	मो0 अमीन	अन्य साक्षी
P.W- 2	जहान आरा बेगम	अन्य साक्षी
P.W- 3	डा0 अनीता कुमारी	चिकित्सक साक्षी
P.W- 4	तसलीमा खातुन	अन्य साक्षी
P.W- 5	मो0 मुकलेश	अन्य साक्षी
P.W- 6	विनिता कुमारी	अनुसंधानकर्ता साक्षी
P.W- 7	Xyz (Victim)	पीड़िता साक्षी

(ख) प्रतिरक्षा साक्षी यदि कोई होः–

Rank	**Name**	**साक्ष्य की प्रकृतिः–** चक्षु साक्षी / पुलिस साक्षी / विशेषज्ञ साक्षी / चिकित्सक साक्षी / अन्य साक्षी।
D.W - 01	सत्तार आलम	अन्य साक्षी
D.W - 02	सिराजुल हक	अन्य साक्षी

(ग) न्यायालय साक्षी यदि कोई होः–

Rank	**Name**	**साक्ष्य की प्रकृतिः–** चक्षु साक्षी / पुलिस साक्षी / विशेषज्ञ साक्षी / चिकित्सक साक्षी / अन्य साक्षी।
N.A	N.A	N.A

अभियोजन / प्रतिरक्षा / न्यायालय प्रदर्शों की सूचीः–

(क) अभियोजन प्रदर्श की सूचीः–

क0 सं0	**प्रदर्श संख्याः**	**विवरण**
01	प्रदर्श– P-1/PW-3	मेडिकल रिपोर्ट।
02	प्रदर्श– P-2/PW-6	केस दर्ज किए जाने का पृष्ठांकन।

03	प्रदर्श– P-3/PW-6	सम्पूर्ण एफ.एस.एल. रिपोर्ट।
04	प्रदर्श– P-2/1-PW-7	फर्द बयान पर पीड़िता का हस्ताक्षर।

(ख) प्रतिरक्षा प्रदर्श की सूचीः–

क0 सं0	प्रदर्श संख्याः	विवरण
N.A	N.A	N.A

(ग) न्यायालय प्रदर्श की सूचीः–

क0 सं0	प्रदर्श संख्याः	विवरण
N.A	N.A	N.A

(घ) वस्तु प्रदर्श की सूचीः–

क0 सं0	प्रदर्श संख्याः	विवरण
N.A	N.A	N.A

निर्णय

1. उपरोक्त अभियुक्त मो0 बारिक उर्फ बारिक आलम के विरूद्ध धारा– 376 भा0द0वि0 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध हेतु आरोप गठित किया गया जिसे अभियुक्त ने इन्कार किया तथा विचारण की मांग किया।

2. सूचिका (पीड़िता) के फर्द बयान के अनुसार अभियोजन का संक्षिप्त मामला यह है कि सूचिका दिनांक 24.06.2023 को समय करीब 8.00 बजे अपराहन मे अपनी मॉ के साथ शौच करने अपने धर के उत्तर करीब 600 मीटर की दूरी पर गई थी। इनकी मॉ शौच कर रही थी और सूचिका सड़क पर खड़ी थी तभी अचानक पीछे से मो0 बारिक आया और इन्हें इनके घर से करीब 01 किलोमीटर दूर स्थित चाय बगान की ओर ले गया और वहीं पर इनका पहना हुआ कपड़ा खोलकर इनके इच्छा के विरूद्ध बालात्कार किया। उसके बाद सूचिका बेहोश हो गई। जब सूचिका को होश आया तो देखी कि काफी भीड़ लगा हुआ है। तब उसकी मॉ और वहॉ पर उपस्थित लोगों की सहायता से उसे सदर अस्पताल, किशनगंज लाया गया। सूचिका के फर्द बयान के आधार पर किशनगंज महिला थाना कांड संख्या 30/2023, अन्तर्गत धारा 376 भा.द.वि. एवं 04 पोक्सो एक्ट मे दर्ज किया गया।

3. अनुसंधानकर्ता द्वारा अनुसंधानोंपरात प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त मो0 बारिक उर्फ बारिक आलम के विरूद्ध धारा 376 भा0द0वि0 के अन्तर्गत आरोप पत्र संख्या 05/2024 दिनांक 19. 01.2024 को विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम, किशनगंज के न्यायालय में समर्पित किया गया। न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध धारा 376 भा.द.वि. एवं 04 पोक्सो एक्ट के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध हेतु संज्ञान लिया गया।

4. दौरा सुपुर्दगी पश्चात् दिनांक 21.02.2024 को आरोप के बिन्दु पर सुनवाई के पश्चात अभियुक्त मो0 बारिक उर्फ बारिक आलम के विरूद्ध धारा 376 भा.द.वि. के अन्तर्गत आरोप का गठन

कर गठित आरोपों को हिन्दी में पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया जिसे वह इंकार किया एवं वाद विचारण की मांग किया।

5. अभियोजन ने अपने केस के समर्थन में 07 साक्षियों को प्रस्तुत किया है। अभियोजन साक्षी संख्या 01 मो0 अमीन, अभियोजन साक्षी संख्या 02 जहान आरा बेगम, अभियोजन साक्षी संख्या 03 डा0 अनीता कुमारी, अभियोजन साक्षी संख्या 04 तसलीमा खातुन, अभियोजन साक्षी संख्या 05 मो0 मुकलेश, अभियोजन साक्षी संख्या 06 विनिता कुमारी (अनुसंधानकर्ता), अभियोजन साक्षी संख्या 07 Xyz (सूचिका) हैं।

6. अभियोजन के तरफ से प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों में प्रदर्श– P-1/PW-3 मेडिकल रिपोर्ट, प्रदर्श– P-2/PW-6 केस दर्ज किए जाने का पृष्ठांकन, प्रदर्श– P-3/PW-6, एफ.एस.एल. का सम्पूर्ण जांच रिपोर्ट, प्रदर्श– P-2/1-PW-7 फर्द बयान पर सूचिका का हस्ताक्षर है।

7. अभियोजन साक्ष्य बंद होने के पश्चात् न्यायालय द्वारा दिनांक 02.06.2025 को अभियुक्त का बयान द0प0स0 की धारा 313 के अन्तर्गत दर्ज किया गया जिसमें अभियुक्त ने अपने विरूद्ध लगाए गए अभियोगों से इन्कार किया तथा अपने को निर्दोष बताया।

8. बचाव पक्ष ने कुल 02 मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किया है। सफाई साक्षी संख्या 01 सत्तार आलम एवं सफाई साक्षी संख्या 02 सिराजुल हक है।

9. विचारण न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन अभियुक्त के विरुद्ध विरचित आरोप को सभी युक्तियुक्त संदेहो की छाया से परे साबित करने में सफल रहा हैं ?

मन्तव्य

10. इस मामले मे अभियोजन ने कुल 07 साक्षियों का साक्ष्य कराया है। अभियोजन साक्षी संख्या संख्या 01 मो0 अमीन है। इन्होने साक्ष्य के मुख्य परीक्षण मे कहा है कि इस केस की सूचिका इनकी बेटी है। इनकी बेटी ने यह केस अब्दुल बारिक के विरूद्ध किया है। घटना दिनांक 24.06.2023 की है। उस दिन ये सुबह घर से निकल कर मजदूरी करने गये थे और शाम मे वापस आये थे। घर पर आने के बाद फिर बाजार गये। बाजार से जब समय करीब आठ बजे रात्री मे आ रहे थे तब इनके गांव के तरफ हल्ला हो रहा था। गांव वाले बोले कि तुम्हारी बेटी नहीं मिल रही है। इनकी बेटी इनकी बीबी के साथ शौच हेतु गई थी तब अब्दुल बारिक इनकी बच्ची को उठाकर लेकर चला गया। खोजबीन के क्रम में इनके गांव से एक किलोमीटर उत्तर इनकी बेटी बेहाशी हालत मे चाय बगान मे मिली। उसके बाद अपनी बच्ची को ईलाज कराने के लिए लेकर गये जहॉ ईलाज हुआ। जब इनकी बेटी को होश आया तब इनकी बेटी बताई कि अब्दुल बारिक इनके साथ बालात्कार किया है। जो लड़का इनकी बेटी के साथ बालात्कार किया था वह न्यायालय मे उपस्थित है जिसे साक्षी पहचान किया है। प्रतिपरीक्षण के क्रम मे पारा 03 में साक्षी ने कहा है कि अपनी बेटी के बताये अनुसार गवाही दिये है। पारा नं0– 04 मे इन्होने कहा है कि इनकी बेटी से इनकी बातचीत 27 तारीख को सदर अस्पताल मे हुई थी। पुनः कहे है कि 25 तारीख को बातचीत हुई थी। यह केस इनकी लड़की किया है तथा इनके बयान पर केस दर्ज हुआ था। पारा 07 मे साक्षी ने कहा है कि इन्होने अपनी बेटी को गाड़ी मे देखा था। इन्होंने अपनी बेटी को बेहोशी की

हालत मे चाय बगान मे नहीं देखा था। पारा 8 मे इस साक्षी ने कहा है कि घटना स्थल की चौहद्दी नहीं बता सकता हूँ। पारा 11 मे साक्षी ने कहा है कि घटना के बाद इनकी पत्नी से इनकी बातचीत 27.06.2023 को आठ बजे अस्पताल मे हुआ था। तब इनकी पत्नी ने घटना के बारे मे जानकारी दी।

11. अभियोजन साक्षी संख्या 02 जहान आरा बेगम है इन्होने साक्ष्य के मुख्य परीक्षण मे कही है कि घटना 24.06.2023 की समय रात्रि आठ बजे की है। उस समय इनको शौच करने घर से आधा किलोमीटर जाना था तो ये अपनी बच्ची को लेकर साथ गई थी। सड़क से हट कर शौच कर रही थी और इनकी बच्ची सड़क पर खड़ी थी कुछ समय बाद इनकी बेटी आवाज दी तो हल्ला पर उस आदमी के पीछे–पीछे बेटी को आवाज देते हुए करीब एक किलोमीटर गई तो बॉस झाड़ के पास चायपत्ति के बगान मे देखी कि इनकी बच्ची बेहाश पड़ी हुई है। उसके बाद मुकलेश, तसलीमा आकर इनकी बेटी को उठाकर हॉस्पीटल लेकर गया जहॉ पर ईलाज हुआ। इपकी बेटी का कपड़ा लल्ता फटा हुआ था। जब इनकी बेटी को होश आया तब बोली कि मो0 बारिक ने जबरन बालात्कार किया। अपनी बेटी का कपड़ा भी महिला थाना वाले को दिया था। प्रतिपरीक्षण के क्रम मे पारा 04 में साक्षी ने कहा है कि इनका दो कमरा का मकान है। इनके घर मे शौचालय एवं किचन बना हुआ है। पारा 05 मे साक्षी ने कहा है कि यह केस इन्होने किया है। इनके बयान पर केस दर्ज हुआ और विनिता कुमारी ने केस दर्ज किया तथा सुनैना कुमारी इनकी बातो को लिखा। केस के बारे मे ये नहीं बता सकती है जो केस लिखा है वही बतायेगा। पारा 07 मे साक्षी ने कहा है कि इन्होने जितनी बाते बताई है वह सारी बाते बेटी के बताने पर बोली है।

12. अभियोजन साक्षी संख्या 03 डा0 अनीता कुमारी (चिकित्सक) है इन्होंने साक्ष्य के मुख्य परीक्षण मे कही है कि On that day A Medical board Constituted by D.S Sadar Hospital, Kishanganj on Dated 25-06-2023 comprising of Dr. Shivajee Prasad, Dr. Anita Kumari & Dr. Wafa Zafar all Mo's of Sadar Hospital KNE to ascertain the age & rape of victim Xyz, D/o- Md Amin Residence of Village- kattmohan Dulkipure ward no.-02, PA+ Dist-Kishaganj, refered from PS mahila thana kishanganj for medical report of victim without any IPC section mentioned are her. Victim is Produced and Identified by Female Constable Guria Kumari No-299, PS- Mahila thana Kishanganj. Admitted In the female ward of sadar hospital Kishanganj with indoor Registration No 1748 on dated 25/6/2023 time at 1.50 PM. After obtaining free and fair consent in the presence of female constable we found following-

MI-(1) A Black mole on right side of nose. (2) A Black below left ear.

G/E weight-40 kg Height-5 feet 1",

Victim conscious at the time of examination. Colour complexion-whitish. No sign of violence.

Clothing- Orange frock kurti with pink leggings and dually pink dupatta.

Secondary sexual character are well developed.

No external, no internal sign of violence found. No foreign bodies found in nails. No sign of defence seen over Victim body.

No foreign bodies found on body. Hyman – old ruptured. Clots are found around genital orifices.

P/A Abd. Soft, uterus not palpable, no striae gravidarum.

Inner genital part inner side of thigh intact. Blood and clot seen around vaginal orifices. No foreign body found.

Investigation- (1) Preg. Test done at Sadar hospital KNE on dated 25-06-2023 shows – negative.

(2) Vaginal swab test done at Sadar Hospital KNE on dated 25-06-2023 shows no spermatozoa found either alive or dead.

(3) USG of W/A produced by IO on dated 26-06-2023 from borges diagnostics centre, KNE shows- No pregnancy, except bilateral renal calculi.

(4) Radiological report for age based on -X-ray, dental, clinical finding, as per medical board opinion the age of victim is between 18 to 20 years average age 19(nineteen) years.

Opinion- (1) The age of victim is in between 18 to 20 years average age 19(nineteen) years as per medical board opinion.

(2) there is no evidence of spermatozoa but possiblility of Rape could not be ruled out.

(3) No foreign particle found on her private part.

(4) Vaginal swab sample preserved.

(5) No injury found over private part.

(6) No foreign particle found inside her nails.

(7) No other injuries found over her bodies or on private part except blood clot seen.

(8) All findings are mentioned above.

साक्षी के साक्ष्य के आधार पर मेडिकल रिपोर्ट को प्रदर्श–P-1/PW-3 अंकित किया गया है। प्रतिपरीक्षण के क्रम में पारा 03 मे साक्षी ने कहा है कि मेडिकल रिपोर्ट इनके द्वारा टाईप नहीं किया गया है। पारा 05 मे साक्षी ने कहा है कि रिपोर्ट डॉ0 अनवर के द्वारा भी तैयार नहीं किया गया है। इन्होने पीडीता के साथ बालात्कार होने की संभावना अपने रिपार्ट में व्यक्त किया है। इस बलात्कार की घटना जांच से 24 घंटा के भीतर हुई हो सकती है।

13. अभियोजन साक्षी संख्या 04 तसलीमा खातुन है इन्होंने साक्ष्य के मुख्य परीक्षण मे कही है कि घटना दिनांक 24.06.2023 की है उस समय ये अपने घर में थी। इनका घर काठमोहन दुलालीपूर है। वहां इनके पिताजी का भी घर है। रात 9 बजे के आस–पास हल्ला हुआ। हल्ला सुनकर ये लोग मो0 आमीन के घर पहूंचे। वहां जाकर सुने कि मो0 आमीन की लड़की अपनी मॉ के साथ शौच करने गई थी वहीं से गायब हो गई। उसकी मॉ भी शौच करने साथ गई थी और लड़की रोड पर खड़ी थी और वहीं से गायब हो गई। उसके बाद खोजते–खोजते गांव से 01 कि0मी0 दूर जब चाय बगान के पास पहुंचे तो देखे कि अमीन की बेटी बेहोश हालत में पड़ी थी। तब उसको सदर अस्पताल लाकर ईलाज कराये। जब होश आया तो बच्ची बतायी कि पानीसाल का अब्दुल बारिक उसको जोर जबरदस्ती से उठा कर ले गया और उसके साथ बालात्कार किया। इन्होने जो बात आज न्यायालय मे बताई है वही बात पुलिस को भी बतायी थी। प्रतिपरीक्षण मे क्रम में पारा 05 मे साक्षी ने कहा है कि प्राथमिकी इनके कहने पर दर्ज नहीं हुआ है। केस पीड़िता ने किया है। पारा 06 मे साक्षी ने कहा है कि पीड़िता के घर में सोने का दो कमरा है, एक रसोई, एक शौचालय है। पारा 08 मे इस साक्षी ने कहा है कि पीडीता से इनकी कोई बात नहीं हुई थी। पारा 11 मे इस साक्षी ने कहा है कि दिनांक 23.06.2024 को ये घर में थी। दिनांक 23.06.2024 को हल्ला सूनकर घटनास्थल पर गयी। उसके बाद पीड़ीता को चाय बगान के पास गिरा हुआ देखी थी। पारा 12 मे साक्षी ने कहा है कि पीड़िता इनकी कोई नहीं लगती है।

14. अभियोजन साक्षी संख्या 05 मो0 मुकलेश है इन्होंने साक्ष्य के क्रम मे कहा है कि यह घ टना आज से लगभग डेढ़ साल पहले की है। उस दिन रात्रि नौ बजे दुलाली चौक पर गये थे। वहॉ पर गॉव मे हल्ला हो रहा था कि लडकी नहीं मिल रही है तब सभी गॉव वाले उस बच्ची को ढ़ुंढ़ रहे थे और ये भी ढ़ुंढ़ रहे थे। वह बच्ची गॉव से एक किलोमीटर दक्षिण चाय बगान मे बेहोशी की हालत में मिली। उसके बाद सभी गॉव वाले उस लड़की को उठाकर सदर अस्पताल, किशनगंज मे ईलाज कराने के लिए लाये। वहॉ पर बच्ची को होश आया तब बच्ची ने बताई कि बारिक नाम का लडका पीड़िता को जबरदस्ती उठाकर रेप किया था। जिसके कारण पीड़िता बेहोश

हो गई थी। न्यायालय मे उपस्थित अभियुक्त बारिक को देखकर साक्षी पहचानने का दावा करता है। प्रतिपरीक्षण के क्रम मे पारा 04 मे साक्षी ने कहा है कि इस केस मे क्या लिखा हुआ है नहीं जानते है। पारा 06 में साक्षी ने कहा है कि पीड़िता का घर में दो कमरा है, एक किचन है और एक वाथरूम है एवं एक शौचालय है। पारा 07 मे साक्षी ने कहा है कि पीड़िता को अभियुक्त वारिक से इन्होने कभी बातचीत करते नहीं देखा है और न ही इन्होने घर आते–जाते देखा है।

15. अभियोजन साक्षी संख्या 06 विनिता कुमारी (अनुसंधानकर्ता) है इन्होंने साक्ष्य के मुख्य परीक्षण मे कही है कि दिनांक 25.06.2023 को महिला थाना किशनगंज मे थानाध्यक्ष के पद पर पदस्थापित थी। उस दिन इन्होने महिला थाना कांड संख्या– 30/2023 दर्ज कर अनुसंधान का भार स्वयं ग्रहण किया। केस दर्ज किये गये आवेदन पर पृष्ठांकन इनके लिखावट एवं हस्ताक्षर मे है, जिसे प्रदर्श– P-2/PW-06 अंकित किया गया है। उसके पश्चात् अनुसंधान का भार ग्रहण किया। फर्द बयान का अवलोकन कर कांड दैनिकी मे अंकित किया। उसके बाद पीड़िता का बयान दर्ज किया। उसके पश्चात् साक्षी– जहाँनआरा बेगम, मोहम्मद अमीन का बयान लेकर कांड दैनिकी मे अंकित किये। उसके पश्चात् घटना स्थल का निरीक्षण किये। घटना स्थल के उत्तर मे मुख्यमंत्री सड़क है जो पूरब की ओर जाने पर कोल्हाबनबाड़ी की ओर जाती है एवं पश्चिम में बेलवा एवं पोठिया की ओर जाती है। दक्षिण मे दिनेश का चायपत्ती का बगान है एवं पूरब मे जितेन्द्र का चायपत्ति का बगान है तथा पश्चिम में राजेन्द्र सिंह का खाली परती जमीन है। घटना स्थल पर उपस्थित साक्षियों तसलीमा खातुन एवं मुकलेश का बयान लिये। उसके पश्चात् कांड मे नामित अभियुक्त के घर पर छापामारी किये परन्तु अभियुक्त फरार पाया गया। उसके पश्चात् कांड की पीड़िता का चिकित्सीय जॉच सदर अस्पताल, किशनगंज मे कराई। माननीय न्यायालय मे सी0आर0पी0सी0 की धारा– 164 के अन्तर्गत पीड़िता का बयान कराया गया। वरीय पदाधिकारी का पर्यवेक्षण टिप्पणी प्राप्त हुआ जिसे कांड दैनिकी मे अंकित किया। दिनांक 23.11.2023 को कांड के अभियुक्त मो0 वारिक को गिरफ्तार किया गया तथा माननीय न्यायालय मे उपस्थापन कराया गया। पीड़िता का उम्र सत्यापन नजरूल होदा मोतिहारा तालुका से कराया गया जिसमे पीड़िता की जन्म तिथि 01.01.2007 पाया गया। इस कांड मे पीड़िता का सदर अस्पताल, किशनगंज द्वारा पीड़िता का अन्तः बस्त्र एवं वेजाईनल स्वाव सील बंद कर उपलब्ध कराया गया तथा अभियुक्त का ब्लड़ सैंपल लेकर दोनो को एफ0एस0एल0 से जॉच कराने हेतु न्यायालय से अनुमति प्राप्त कर एफ0एस0एल0, पटना भेजे। एफ0एस0एल0 का जॉच प्रतिवेदन प्राप्त है जो अभिलेख पर है। पूरे रिपोर्ट को प्रदर्श– P-3/P.W- 6 अंकित किया गया है। अनुसंधान के पूर्ण होने पर अभियुक्त बारिक के विरूद्ध आरोप पत्र संख्या– 05/2024, दिनांक 19.01.2024 को समर्पित किया गया। अभियुक्त न्यायालय मे उपस्थित है जिसे देखकर साक्षी पहचानती है। प्रतिपरीक्षण के क्रम में पारा 18 मे साक्षी ने कहा है कि घटना स्थल पर घटना घटित होने का कोई प्रमाण नहीं मिला था। पारा 19 मे साक्षी ने कहा है कि घटना स्थल के चारो तरफ खेत है। पारा 21 मे साक्षी ने कहा है कि घटना घटित होने एवं प्राथमिकी दर्ज होने के बीच करीब 12 घंटे का अन्तर है। पारा 22 मे साक्षी ने कहा है कि घटना स्थल पर शौच नहीं मिला था। पारा 25 मे साक्षी ने कहा है कि एफ.एस.एल. पटना से रिपोर्ट प्राप्त हुये बिना इन्होंने आरोप पत्र समर्पित किया, क्योंकि कांड के अभियुक्त की न्यायिक अभिरक्षा की अवधि पूर्ण हो रही थी। पारा 27 मे इन्होंने कहा है कि पीड़िता का कपड़ा इन्होंने जप्त नहीं किया था।

16. अभियोजन साक्षी संख्या 07 XYZ (पीड़िता) है इन्होने साक्ष्य के मुख्य परीक्षण मे कहा है कि इसने अपना बयान पुलिस को दिया था। घटना 24.06.2023 की है। पीड़िता अपनी मॉ के साथ शौच करने गई थी। इनकी मॉ शौच करने बैठ गयी थी और पीड़िता सड़क पर खड़ी थी तभी अचानक पीछे से मो0 बारिक आकर इनको पकड़ लिया तथा इन्हें उठाकर चाय बगान के पास लेकर चला गया और वहॉ ले जाकर जोर जबरदस्ती से इनके साथ बलात्कार किया। उसके बाद पीड़िता बेहोश हो गई। जब इन्हे होश आई तो देखी कि काफी भीड़ जुटी थी। उसके बाद इनकी मॉ ले जाकर सदर अस्पताल में भर्ती कराई थी। इन्होंने सदर अस्पताल, मे दिनांक 25.06.2023 को पुलिस को अपना बयान दिया था तथा उस पर अपना हस्ताक्षर की थी। फर्द बयान पर साक्षी के हस्ताक्षर को प्रदर्श– P- 2/1– PW- 7 अंकित किया गया है। प्रतिपरीक्षण के कम में पारा 03 कहा है कि इनके घर मे इनकी मॉ, पिता, भाई एवं बहन रहती है। इनके घर मे कुल 04 कमरे है तथा एक किचन है। बाथरूम घर मे नहीं है। पक्का रूम एक ही है। पारा 07 मे साक्षी ने कही है कि घर से घटना स्थल पर जाने में कितना समय लगा था इन्हें पता नहीं है। पारा 10 मे साक्षी ने कहा है कि घटना स्थल पर घटना के पहले एक बार बकरी लेकर गई थी। उसके बाद नहीं गयी थी। पारा 11 मे साक्षी ने कहा है कि इनकी मॉ शौच कर रही थी और ये सड़क पर खड़ी थी।

17. अभियोजन के तरफ से प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों में प्रदर्श– P-1/PW-3 मेडिकल रिपोर्ट, प्रदर्श– P-2/PW-6 केस दर्ज किए जाने का पृष्ठांकन, प्रदर्श– P-3/PW-6 एफ.एस.एल. का सम्पूर्ण जॉच रिपोर्ट, प्रदर्श– P-2/1-PW-7 फर्द बयान पर सूचिका का हस्ताक्षर है।

18. बचाव पक्ष ने अपने तरफ से दो साक्ष्य प्रस्तुत किया है। सफाई साक्षी संख्या 01 सत्तार आलम एवं सफाई साक्षी संख्या 02 सिराजुल हक है।

19. सफाई साक्षी संख्या 01 सत्तार आलम है इन्होने साक्ष्य के मुख्य परीक्षण मे कहा है कि इस केस के दोनो पक्षो को जानते है। जहॉ पर पीड़िता का घर है वहां पर पुरा मुस्लिम का घर है। पीड़िता के घर मे दो पक्का कमरा, शौचालय तथा एक किचन है। इनके गांव मे सभी के घर मे शौचालय है इसलिए कोई औरत या मर्द शौचालय के लिए बाहर नहीं जाते है। पीड़िता का यह कहना कि वह शौच हेतु घर से बाहर गई थी, गलत है। प्रतिपरीक्षण के कम में पारा 03 मे साक्षी ने कहा है कि इन्होंने अपने गांव का सर्वे नहीं किया है बल्कि अपने जानकारी के आधार पर बताये है कि मुस्लिम का गांव है। पारा 05 मे साक्षी ने कहा है कि इनके गांव के लोगों के मकान में कितना कमरे तथा कितना शौचालय है, नहीं बता सकते है।

20. सफाई साक्षी संख्या 02 सिराजुल हक है इन्होंने साक्ष्य के मुख्य परीक्षण मे कहा है कि इस केस के दोनो पक्षा को जानते है। जहां पर सूचिका रहती है वहां पर 40–50 घर की आबादी है। वहां पर सिर्फ मुस्लिम बस्ती है। सभी का घर पक्का का है और घर के अन्दर पक्का का कमरा, शौचालय एवं किचन बना हुआ है। कोई भी व्यक्ति शौच के लिए बाहर नहीं जाते है। पीड़िता शौच हेतु घर से बाहर नहीं गई थी। प्रतिपरीक्षण के कम में साक्षी ने कहा है कि ये अपने गांव के सभी लोगों के घर मे नहीं जाते है तथा गांव के सभी लोगों का नाम नहीं जानते है। गांव मे कौन क्या व्यवसाय करते है नहीं बता सकते है। आगे इन्होंने कहा है कि यासिन मुंशी के कहने पर गवाही देने आये है।

21. बचाव–पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों के साक्ष्य में विरोधाभास है। अभियोजन साक्षी संख्या 02 जो कि पीड़िता की मॉ है उसने अभियुक्त को न्यायालय मे नहीं पहचाना है। चिकित्सक ने जॉच के दौरान कोई आन्तरिक या बाह्य जख्म पीड़िता के शरीर पर नहीं पाया है। अनुसंधानकर्ता ने अपने साक्ष्य मे कहा है कि उसने पीड़िता के कपड़ो को जप्त नही किया है तथा घटना स्थल पर कोई प्रमाण उन्हे नही मिला था। बचाव पक्ष के साक्षियो ने कहा है कि पीड़िता एवं अन्य लोगों के घर मे शौचालय है तथा कोई व्यक्ति शौच के लिए बाहर नहीं जाते है। एफ.एस.एल. रिपोर्ट से भी अभियुक्त द्वारा बालात्कार किये जाने की पुष्टि नहीं होती है। विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अभियोजन अभियुक्त के विरूद्ध लगाए गए आरोप को युक्ति युक्त संदेह की छाया के परे साबित करने मे असफल रहा है तथा उन्होने अभियुक्त को दोषमुक्त करने की प्रार्थना किया। जहां तक साक्षियों के साक्ष्य मे विरोधाभाष का प्रश्न है, किसी भी साक्षी के साक्ष्य में कोई ऐसा तात्विक विरोधाभाष नहीं है जिससे कि उसके साक्ष्य को अविश्वसनीय माना जा सके। साक्षी के साक्ष्य को पूर्णता मे देखा जाना चाहिए। जहां तक अनुसंधानकर्ता द्वारा अपने साक्ष्य मे कपड़ा जप्त नहीं करने की बात है, कहे जाने की प्रश्न की बात है साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षण के पारा 10 मे कहा है कि इस कांड में पीड़िता का अन्तः बस्त्र एवं वेजाईनल स्वाव सील बन्द कर उपलब्ध कराया गया था तथा अभियुक्त का ब्लड़ सैम्पल लेकर दोनो को एफ.एस.एल. जांच हेतु पटना भेजी थी। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अनुसंधानकर्ता ने पीड़िता का कपडा जप्त नहीं किया था बल्कि उसे अस्पताल से उपलब्ध कराया गया था। जहां तक चिकित्सक द्वारा पीडिता के शरीर पर जांच में आन्तरिक एवं बाह्य जख्म नहीं पाये जाने का प्रश्न है चिकित्सक ने जख्म तो नहीं पाया था परन्तु वेजाईनल ऑरिफिसेस के चारो तरफ क्लॉट्स पाया था तथा चिकित्सक ने अपने प्रतिवेदन मे यह भी कहा है कि बालात्कार के सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार चिकित्सक ने भी बालात्कार की बात को नाकारा नहीं है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि पीड़िता के घर मे शौचालय है जिस कारण उसे बाहर शौच हेतु जाने का कोई औचित्य नहीं है। इस सम्बन्ध में ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी लोग शौचालय होने के बाबजूद शौच हेतु बाहर जाते है। यह नहीं कहा जा सकता कि ग्रामीण क्षेत्र में घ ार मे शौचालय होने से कोई व्यक्ति शौच हेतु घर से बाहर खेत की तरफ नहीं जाता है। जहां तक एफ.एस.एल. रिपोर्ट का प्रश्न है, रिपोर्ट अवलोकन से स्पष्ट है कि बेजाईनल स्वाव फ्रॉक तथा लेगिग्स से मानव डी.एन.ए. प्राप्त हुआ है। फ्रॉक एवं लेगिग्स पर प्राप्त डी.एन.ए. मिश्रित था जिसमे पुरूष एवं महिला दोनो का डी.एन.ए. पाया गया। अभियुक्त बारिक आलम के रक्त नमूने का डी.एन.ए. प्रोफाईल फ्रॉक एवं लेगिग्स पर प्राप्त मिश्रित डी.एन.ए. प्रोफाईल से मेल खाता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि डी.एन.ए. प्रोफाईल से भी यह साबित होता है कि अभियुक्त बारिक आलम ने पीड़िता के साथ बालात्कार किया था। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने ऐसा कोई तथ्य या सामग्री अभिलेख पर नहीं लाया है जिससे अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों के साक्ष्य पर अविश्वास किया जा सके। बचाव पक्ष के तरफ से ऐसा भी कोई तथ्य नहीं लाया गया है जिससे विदित हो कि उसे झूठे केस मे फंसाया गया है। बचाव पक्ष के तरफ से क्रिमिलन अपील नं0– 1252/2011 जो कि एस.एल.पी. क्रिमिनल नं0– 8021/2009 से सम्बन्धित है मे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की वेब कॉपी, कमिनल अपील नं0– 1094–1098 सन् 2000 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पारित निर्णय की वेब कॉपी तथा क्रिमिनल अपील नं0– 264/2020 जो कि एस.एल.

पी. क्रिमिनल नं0– 3780 सन् 2018 मे माननीय सर्वोच्च न्यायालय मे पारित निर्णय की वेब कॉपी दाखिल किया है। उक्त निर्णयों के अवलोकन से स्पष्ट है कि उन वादो के तथ्य प्रस्तुत वाद के तथ्यों से पूर्णतः भिन्न है जिस कारण इस वाद में उक्त न्याय निर्णय प्रभावी नहीं होते है।

22. विद्वान अपर लोक अभियोजक ने निवेदन किया कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों ने अभियोजन केस का पूर्णतः समर्थन किया है। चिकित्सीय जॉच रिपोर्ट एवं एफ.एस.एल. रिपोर्ट से भी यह तथ्य साबित होता है कि अभियुक्त ने पीड़िता के साथ बालात्कार किया है। विद्वान अपर लोक अभियोजक ने अभियुक्त को दोषसिद्ध किये जाने की प्रार्थना किया।

23. उभयपक्षो को सुनने एवं अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत वाद पीड़िता के फर्द बयान के आधार पर दर्ज किया गया है। भा0द0वि0 की धारा 375 के अनुसार यदि कोई पुरूष किसी स्त्री के इच्छा के विरूद्ध अथवा उस स्त्री की सहमति के बिना अथवा उस स्त्री के सहमति से, जब कि उसकी सहमति उसे या ऐसे किसी व्यक्ति को, जिससे वह हितबद्ध है, मृत्यु या उपहति के भय मे डालकर प्राप्त की गई है, किसी स्त्री के योनी, गुद्धा, मुत्र मार्ग या शरीर के किसी भाग मे उसके साथ बालात्संग करता है तो वह बालात्कार की श्रेणी मे रखा जायेगा। जिसका दण्ड भा0द0वि0 की धारा 376 मे निर्देशित किया गया है। पीड़िता का साक्ष्य प्रस्तुत वाद मे अभियोजन साक्षी संख्या 07 के रूप मे हुआ है। पीड़िता ने अपने साक्ष्य मे कहा है कि इसने अपना बयान पुलिस को दिया था। घटना 24.06.2023 की है। पीड़िता अपनी मॉ के साथ शौच करने गई थी। इनकी मॉ शौच करने बैठ गयी थी और पीड़िता सड़क पर खड़ी थी तभी अचानक पीछे से मो0 बारिक आकर इनको पकड़ लिया तथा इन्हें उठाकर चाय बगान के पास लेकर चला गया और वहॉ ले जाकर जोर जबरदस्ती से इनके साथ बलात्कार किया। उसके बाद पीड़िता बेहोश हो गई। जब इन्हे होश आई तो देखी कि काफी भीड़ जुटी थी। उसके बाद इनकी मॉ ले जाकर सदर अस्पताल में भर्ती कराई थी। इन्होंने सदर अस्पताल, मे दिनांक 25.06.2023 को पुलिस को अपना बयान दिया था तथा उस पर अपना हस्ताक्षर की थी। प्रतिपरीक्षण मे भी ऐसा कोई तथ्य नहीं आया है जिससे साक्षी के साक्ष्य को अविश्वसनीय माना जा सके। पीड़िता की मॉ जहान आरा बेगम जिसके साथ पीड़िता शौच हेतु गई थी वह प्रस्तुत वाद में अभियोजन साक्षी संख्या 02 के रूप में साक्ष्य दी है। पीड़िता की मॉ ने अपने साक्ष्य मे कहा है कि घटना 24.06.2023 की समय रात्रि आठ बजे की है। उस समय इनको शौच करने घर से आधा किलोमीटर जाना था तो ये अपनी बच्ची को लेकर साथ गई थी। सड़क से हट कर शौच कर रही थी और इनकी बच्ची सड़क पर खड़ी थी कुछ समय बाद इनकी बेटी आवाज दी तो हल्ला पर उस आदमी के पीछे–पीछे बेटी को आवाज देते हुए करीब एक किलोमीटर गई तो बॉस झाड़ के पास चायपत्ति के बगान मे देखी कि इनकी बच्ची बेहाश पड़ी हुई है। उसके बाद मुकलेश, तसलीमा आकर इनकी बेटी को उठाकर हॉस्पीटल लेकर गया जहॉ पर ईलाज हुआ। इपकी बेटी का कपड़ा लल्ता फटा हुआ था। जब इनकी बेटी को होश आया तब बोली कि मो0 बारिक ने जबरन बालात्कार किया। अभियोजन साक्षी संख्या 01 पीड़िता के पिता है जिन्होने अपने साक्ष्य मे कहा है कि इस केस की सूचिका इनकी बेटी है। इनकी बेटी ने यह केस अब्दुल बारिक के विरूद्ध किया है। घटना दिनांक 24.06.2023 की है। उस दिन ये सुबह घर से निकल कर मजदूरी करने गये थे और शाम मे वापस आये थे। घर पर आने के बाद फिर बाजार गये। बाजार से जब समय करीब आठ बजे रात्री मे आ रहे थे तब इनके गांव के तरफ हल्ला हो रहा था। गांव वाले बोले कि तुम्हारी बेटी नहीं मिल रही है। इनकी बेटी इनकी बीबी के

साथ शौच हेतु गई थी तब अब्दुल बारिक इनकी बच्ची को उठाकर लेकर चला गया। खोजबीन के क्रम में इनके गांव से एक किलोमीटर उत्तर इनकी बेटी बेहाशी हालत मे चाय बगान मे मिली। उसके बाद अपनी बच्ची को ईलाज कराने के लिए लेकर गये जहॉ ईलाज हुआ। जब इनकी बेटी को होश आया तब इनकी बेटी बताई कि अब्दुल बारिक इनके साथ बालात्कार किया है। अभियोजन साक्षी संख्या 04 तसलीमा खातुन, अभियोजन साक्षी संख्या 05 मो0 मुकलेश ने भी अभियोजन केस का पूर्णतः समर्थन किया है। किसी भी साक्षी के प्रतिपरीक्षण मे ऐसा तथ्य नहीं आया है जिससे उनके साक्ष्य को अविश्वसनीय माना जा सके।

24. अभियोजन साक्षी संख्या 03 डा0 अनिता कुमारी है जिन्होने पीड़िता का परीक्षण किया था। उनके साक्ष्य के आधार पर चिकित्सीय प्रतिवेदन को प्रदर्श– P-1/PW-3 अंकित किया गया है। इन्होने अपने प्रतिवेदन में कोई आन्तरिक या बाह्य जख्म तो नहीं पाया है परन्तु जेनाईटल ऑरफिसेस के चारो तरफ क्लॉट पाया है तथा यह प्रतिवेदन किया कि बालात्कार करने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। प्रदर्श– 03 जो कि एफ.एस.एल. रिपोर्ट है उसके अवलोकन से विदित होता है कि बेजाईनल स्वाव फ्रॉक तथा लेगिग्स से मानव डी.एन.ए. प्राप्त हुआ है। फ्रॉक एवं लेगिग्स पर प्राप्त डी.एन.ए. मिश्रित था जिसमे पुरूष एवं महिला दोनो का डी.एन.ए. पाया गया। अभियुक्त बारिक आलम के रक्त नमूने का डी.एन.ए. प्रोफाईल फ्रॉक एवं लेगिग्स पर प्राप्त मिश्रित डी.एन.ए. प्रोफाईल से मेल खाता है। इस प्रकार एफ.एस.एल. रिपोर्ट से भी अभियुक्त द्वारा बालात्कार किये जाने के तथ्य की पुष्टि होती है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अभियोजन पर्याप्त साक्ष्य द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध लगाए गए आरोप को साबित करने मे सफल रहा है।

25. उपरोक्त विवेचना के आधार पर मै इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूॅ कि अभियोजन अभियुक्त मो0 बारिक उर्फ बारिक आलम के विरूद्ध लगाए गए आरोप अन्तर्गत धारा 376 भा0द0वि0 को युक्ति युक्त संदेह की छाया के परे साबित करने मे सफल रहा है। अतः

आदेश

अतः अभियुक्त मो0 बारिक उर्फ बारिक आलम को धारा 376 भा0द0वि0 के अपराध का दोषी पाते हुए दोषसिद्ध किया जाता है। अभियुक्त मो0 बारिक उर्फ बारिक आलम पूर्व से कारा में संसीमित है। अभिलेख दिनांक 25.07.2026 को सजा के बिन्दु पर सुनवाई हेतु प्रस्तुत करें।

(लेखापित एवं शुद्धिकृत)
ह0/–
(सुरेश कुमार सिंह– II)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम
किशनगंज
दिनांकः– 15.07.2026

ह0/–
(सुरेश कुमार सिंह– II)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम,
किशनगंज
दिनांकः– 15.07.2026

<u>दिनांक 25.07.2026</u>

<u>सजा के बिन्दु पर सुनवाई</u>

सजा के बिन्दु पर दोषसिद्ध मो0 बारिक उर्फ बारिक आलम के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अपर लोक अभियोजक को सुना।

दोषसिद्ध मो0 बारिक उर्फ बारिक आलम को धारा 376 भा0द0वि0 के अपराध हेतु दोषसिद्ध किया गया है। दोषसिद्ध के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि दोषसिद्ध कम उम्र का है तथा उनमें सुधार होने की संभावना है। अभिलेख पर दोषसिद्ध के विरूद्ध पूर्व मे किसी अपराध में दोषसिद्ध होने का प्रमाण नहीं है। दोषसिद्ध का यह प्रथम अपराध है। दोषसिद्ध के विद्वान अधिवक्ता ने सजा के बिन्दु पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने का निवेदन किया।

विद्वान अपर लोक अभियोजक ने निवेदन किया कि दोषसिद्ध द्वारा किया गया अपराध बालात्कार का है जो कि गम्भीर प्रकृति का है। विद्वान अपर लोक अभियोजक दोषसिद्ध को विधि द्वारा निर्धारित अधिकतम दण्ड दिये जाने का निवेदन किया।

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376 के अपराध हेतु निर्धारित दण्डादेश सश्रम कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम नहीं होगी, किन्तु जो आजीवन कारावास तक हो सकेगी और जुर्माना से दण्डनीय है।

प्रस्तुत वाद के परिस्थितियों तथा उभय पक्षों के अधिवक्ता अभिकथनों को ध्यान में रखते हुए दोषसिद्ध को धारा 376 भा.द.वि. के अपराध हेतु 12 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 50,000/– रूपया अर्थदण्ड दिये जाने से सामाज मे अच्छा सन्देश जायेगा तथा न्याय की मंशा पूर्ण होगी। अतः

आदेश

दोषसिद्ध मो0 बारिक उर्फ बारिक आलम को धारा 376 भा0द0वि0 के अपराध हेतु 12 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 50,000/– रूपया अर्थदण्ड की सजा दी जाती है। अर्थदण्ड की राशि जमा नहीं करने पर 05 माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। अनुसंधान एवं विचारण के दौरान कारा मे बिताई गई अवधि सजा मे समायोजित की जायेगी।

(लेखापित एवं शुद्धिकृत)

ह0/–
(सुरेश कुमार सिंह– II)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम,
किशनगंज
दिनांकः– 25.07.2026

ह0/–
(सुरेश कुमार सिंह– II)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम,
किशनगंज
दिनांकः– 25.07.2026

Date of Judgement/Order	15-07-2026
Hearing of Sentence	25-07-2026
Date of reserving Judgement/Order	10-07-2026
Uploading Date	27-07-2026
Uploading by	Deposition Writer

पीड़िता मुआवजा योजना

अभियुक्त मो0 बारिक उर्फ बारिक आलम को धारा 376 भा0द0वि0 को दोषी पाते हुये 12 (बाहर) वर्ष के सश्रम कारावास की सजा दी गई है साथ ही 50,000/– (पचास हजार रूपया) के अर्थदण्ड की राशि से दण्डित किया गया है। घटना के समय पीड़िता की उम्र 18 वर्ष थी। सरकार ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 357(A) के अन्तर्गत पीड़ित को प्रतिकर प्रदान करने का प्रावधान किया है।

अतः इस निर्णय की एक प्रति जिला विधिक सेवा प्राधिकार, किशनगंज के सचिव को भेजी जाए ताकि पीड़िता को योजना के अनुसार मुआवजा की भुगतान की प्रक्रिया की जा सके।

(लेखापित एवं शुद्धिकृत)
ह0/–
(सुरेश कुमार सिंह– II)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम,
किशनगंज
दिनांकः– 25.07.2026

ह0/–
(सुरेश कुमार सिंह– II)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम,
किशनगंज
दिनांकः– 25.07.2026